

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 10, 2023**

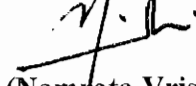
In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that outstanding demand of stamp duty, interest and penalty shall be remitted in the category of cases decided by or pending before the Collector (Stamps), Rajasthan Tax Board or any other Courts as specified in column number 2 to the extent specified in column number 4 and 5, subject to the conditions specified in column number 3 in the table given below:-

Table				
S. No.	Category of cases	Conditions	Remission	
			Stamp duty	Interest and Penalty
1	2	3	4	5
1.	Outstanding demand relating to cases registered on or before 01.04.2003	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2023	60%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.06.2023	55%	100%
		(iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2023	50%	100%
2.	Outstanding demand relating to cases registered after 01.04.2003 and on or before 31.03.2013	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2023	50%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.06.2023	45%	100%
		(iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2023	40%	100%
3.	Outstanding demand relating to cases registered on or after 01.04.2013 and on or before 31.03.2018	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2023	40%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.06.2023	35%	100%
		(iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2023	30%	100%
4.	Outstanding demand relating to cases registered on or after 01.04.2018 and on or before 31.03.2022	(i) If outstanding stamp duty is paid on or before 31.03.2023	30%	100%
		(ii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.06.2023	25%	100%
		(iii) If outstanding stamp duty is paid on or before 30.09.2023	20%	100%

- Note:** 1. The amount deposited under the section 65 of the said Act for filing revision before the Rajasthan Tax Board shall be adjusted towards the payment of stamp duty.
2. Stamp duty or any other amount already paid shall not be refunded.
3. The benefits under this notification shall be given subject to filing of undertaking before Collector (Stamps) concerned to withdraw the pending cases.

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-26]

By order of the Governor,



(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 10, 2023

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि स्टाम्प शुल्क, ब्याज और शास्ति की बकाया मांग का, कलेक्टर (स्टाम्प), राजस्थान कर बोर्ड या किन्हीं अन्य न्यायालयों द्वारा विनिश्चित या के समक्ष लंबित, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथाविनिर्दिष्ट मामलों के प्रवर्ग में, स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, स्तम्भ संख्यांक 4 और 5 में विनिर्दिष्ट सीमा तक, परिहार किया जायेगा:-

सारणी

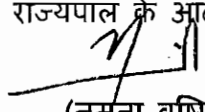
क्र. सं.	मामलों के प्रवर्ग	शर्तें	परिहार	
			स्टाम्प शुल्क	ब्याज और शास्ति
1	2	3	4	5
1.	01.04.2003 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	60%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	55%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	50%	100%
2.	01.04.2003 के पश्चात् और 31.03.2013 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	50%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	45%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	40%	100%
3.	01.04.2013 को या इसके पश्चात् और 31.03.2018 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	40%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	35%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	30%	100%

4.	01.04.2018 को या इसके पश्चात् और 31.03.2022 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मामलों से संबंधित बकाया मांग	(i) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 31.03.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	30%	100%
		(ii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.06.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	25%	100%
		(iii) यदि बकाया स्टाम्प शुल्क 30.09.2023 को या इससे पूर्व संदत्त कर दिया जाता है	20%	100%

- टिप्पण: 1. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण फाइल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 65 के अधीन निक्षिप्त रकम, स्टाम्प शुल्क के संदाय के लेखे समायोजित की जायेगी।
2. पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क या किसी अन्य रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।
3. इस अधिसूचना के अधीन फायदे लंबित मामलों के प्रत्याहरण के लिए संबंधित कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष वचनबंध फाइल करने के अध्यक्षीन देय होंगे।

[प.4(2)वित्त/कर/2023-26]

राज्यपाल के आदेश से,


(नमता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव